संख्या–549 आ.ब.–4 / नियोजन–एल.सी.एस. / 2001

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
   उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
   उत्तर प्रदेश।
2. **उपाध्यक्ष,**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

आवास बन्धु

लखनऊः दिनाँक–31 अक्टूबर, 2001

विषय : सरकारी / निजी भवनों के निर्माण में जल प्रवाहित शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के पश्चात् भवन निर्माण हेतु मानचित्र पास किया जाना।

महोदय,

मुझे आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में केन्द्रीय अधिनियम ''सफाई कर्मचारी नियोजन एवं शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993'' को अंगीकृत कर लिए जाने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम के प्राविधान दिनांक 3.11.2001 से सम्पूर्ण प्रदेश में प्रभावी हो जाएंगे, फलस्वरूप प्रदेश में शरीर पर मैला ढोने की अमानवीय कुप्रथा प्रतिबन्धित हो जाएगी और ऐसे व्यक्तियों को जो इस घृणित कार्य हेतु स्वच्छकारों को नियोजित करेंगे, वे दण्ड के भागी होंगे।

2. अतः सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में सरकारी / निजी भवनों के निर्माण की अनुज्ञा तभी प्रदान की जाए, जबकि भवन निर्माण हेतु प्रस्तुत मानचित्र में जल–प्रवाहित शौचालय के निर्माण की व्यवस्था की गई हो।

3. कृपया उपरोक्त आदेशों का तत्काल प्रभाव से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव

संख्या (1) / आ.ब.–4 / नियोजन–एल.सी.एस. / 2001 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. निजी सचिव, मा. आवास मंत्री / राज्य मंत्री आवास के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के आवलोकनार्थ।
3. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त नियन्त्रण प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
6. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी आवास संघ।

8. अध्यक्ष, आर्कीटेक्ट एसोसिएशन, लखनऊ।
9. अध्यक्ष, यू.पी.चैप्टर इन्स्टीट्यूट ऑफ आर्कीटेक्ट।
10. अपर निदेशक, नियोजन, उत्तर प्रदेश आवास बन्धु।

आज्ञा से

टी.पी.पाठक
विशेष सचिव